

# झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2013  
[ सभा द्वारा यथापारित ]



2013

**झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2013**  
**(सभा द्वारा यथापारित)**

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।
- (ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

झारखण्ड  
अधिनियम 9,  
2001 की  
धारा 4  
का संशोधन

2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में निर्मांकित परन्तुक को निवेशित किया जायेगा, अर्थात् :-

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रवृत्त होने की तिथि और 31वीं मार्च, 2014 को समाप्त होने के बीच की अवधि में इस धारा के प्रावधान इस परिमार्जन के शर्ताधीन लागू होंगे कि वाक्यांश "एक सौ पचास करोड़ रुपये" को वाक्यांश "तीन सौ करोड़ रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

-----

यह विधेयक झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 के झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(शशांक शेखर भोक्ता)  
अध्यक्ष ।